



क्रमांक-एच.24(NOC 23-24)/बी.एड/आकाशि/2023/732

दिनांक-15/06/23

1. समन्वयक पीटीईटी 2023. (बी.एड व बी.ए.बी.एड./बी.एनसी.बी.एड), गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. समन्वयक 2023 (एम.एड, बी.एड-एम.एड बी.पी.एड व एम.बी.एड) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, काशी दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, माण्डलाल सूक्तानिधि विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. रजिस्ट्रार, प.टी.नंदपाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. रजिस्ट्रार, राज नृसिंह गजुहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बूज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
12. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषय:-सत्र 2023-24 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता एवं काउन्सिलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं की सूची संलग्न कर सम्बद्धता एवं काउन्सिलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योत्तिष्ठित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पीटीईटी परीक्षा 2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2023 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि वित्तपरिधि से नहीं लीये।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताप्राप्ति शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची
 - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम गद्य रदीकृत सीट संख्या
8. एनसीटीई रैग्गुलेशन 2014 में उल्लेखित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
 कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्यकृत सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-क) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. क्षेत्रीय निर्देशक, परिचय क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, रोड नं-10, हारका, नई दिल्ली-110075।
6. सचिव/प्रचारक/रजिस्ट्रार, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
7. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राज्य में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को सत्र 2023-24 के लिए M.Ed.(2 year) Course हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सूची

एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अन्तर्गत सत्र 2015-16 में जारी मान्यता आदेश में उद्घूत गूनिट संख्या के अनुसार सीटों की संख्या व स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31(1)शिक्षा-4/2015 दिनांक 08 मई,2016 के अनुसार सत्र 2023-24 के लिए यथावत् रहेगी।

S.No.	District	Institute Name	Total Seats
		राजकीय क्षेत्र	
1	Bikaner	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	
2	Ajmer	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	
3	Ajmer	क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	
		गैर राजकीय क्षेत्र	
4	Ajmer	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	
5	Ajmer	सेन्द्रल अकादमी टीटी कॉलेज, प्रगति नगर कोटडा, अजमेर	
6	Bharthpur	महात्मा गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेवर, सुधीय कॉलोनी, भरतपुर	
7	Ganganagar	भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चक 2, एम.एल., नाथवाला, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर	
8	Hanumangarh	ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संगरिया, हनुमानगढ़	
9	Hanumangarh	श्री गंगानगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टाटिया हायर एज्यूकेशन कैंप, हनुमानगढ़	
10	Jalpur	श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर	
11	Jalpur	एसएसजी पारीक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर (PNOC)	
12	Jalpur	राजरथान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	
13	Jalpur	वसुन्धरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अग्रसेन, जयपुर	
14	Jalpur	डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन, राजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर	
15	Jalpur	श्री बालाजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बेनाड रोड, माचंडा, जयपुर	
16	Jalpur	एस.एस. जैन सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बुधसिंहपुरा, ऐयरपोर्ट रोड, सांगानेर, जयपुर (PNOC)	
17	Jalpur	तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोपालपुरा, जयपुर	
18	Jalpur	श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर (पार्टटाईम)	
19	Jalpur	संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तालकोठी, जयपुर (PNOC)	
20	Jaipur	आईसीजी इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन डवलपमेंट, आईसीजी गुरुकुल मार्ग, एसपीएस, मानसरोवर, जयपुर	
21	Jaipur	आकाशदीप महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर	
22	Jalpur	के.एम.डी. मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, ग्राम तेजावाला, पं. कपूरवाला, सांगानेर, जयपुर (महिला)	
23	Jalpur	दियानो गर्ल्स कॉलेज, आर-4, सैक्टर-3, विद्याधर नगर, एनजीपीएस के पास, जयपुर	
24	Jalpur	ज्ञानविहार स्कूल ऑफ एज्यूकेशन (ज्ञानविहार विश्वविद्यालय) जगतपुरा जयपुर	
25	Jalpur	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर	
26	Jhunjhunu	समादेवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हरनाथपुरा, झुंझुनू	